प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में माह सितम्बर, 2019 के अंतिम सप्ताह में हुए अतिवृष्टि के कारण शहर में उत्पन्न भीषण जलजमाव के संबंध में दिनांक 15.10.2019 को आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः—

माह सितम्बर, 2019 के अंतिम सप्ताह में हुए अतिवृष्टि के कारण पटना/दानापुर शहर में उत्पन्न भीषण जलमाव की समीक्षा की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं बुडको के मुख्य अभियंता/कार्यपालक अभियंता उपस्थित हुए।

बैठक में निम्नवत निर्णय लिये गये/निर्देश दिये गये—

1. बुडको एवं पटना नगर निगम के साथ समन्वय हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर **"श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव"** की अध्यक्षता में **"समन्वय समिति" गठित की जाती है,** जिसमें बुडको के 02 प्रतिनिधि, पटना नगर निगम के 02 प्रतिनिधि (01 अभियंता एवं 01 सफाई संबंधी पदाधिकारी) तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद से 01—01 प्रतिनिधि (नगर प्रबंधक) रहेंगे। **"समन्वय समिति" की बैठकें प्रत्येक सप्ताह में 02 दिन (मंगलवार एवं शुक्रवार) की जाएगी।** उक्त समन्वय समिति में बुडको के प्रतिनिधि के रूप में श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, मुख्य अभियंता एवं श्री रामचन्द्र प्रसाद, मुख्य अभियंता रहेंगे। नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा बताया गया कि श्री शैलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, नगर निगम, पटना एवं श्री ललन प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, पटना रहेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय) से श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता/श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता रहेंगे।

   उक्त समन्वय समिति की बैठकें **प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर साप्ताहिक रूप से प्रत्येक बुधवार को की जाएगी,** जिसमें उक्त समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना, प्रबंध निदेशक, बुडको, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड एवं प्रबंध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लि० भी रहेंगे।

   उक्त समिति द्वारा पटना शहर के अतिरिक्त संबंधित अन्य निकायों में ड्रेनेज, सफाई, मैनहोल आदि कार्य का नियमित अनुश्रवण एवं समन्वय किया जाएगा और प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जाएगा।

2. पटना, दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ शहर के ड्रेनेज के निर्माण एवं अतिरिक्त पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस हेतु डी०पी०आर० बुडको द्वारा तैयार किया जाएगा और इस कार्य में पटना नगर निगम से समुचित समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। Scope of Work के लिए पटना नगर निगम के अतिरिक्त अन्य संबंधित निकायों से भी बुडको द्वारा समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। डी०पी०आर० में यह स्पष्ट अंकित किया जाएगा कि इस कार्य में संबंधित निकाय की किस प्रकार की जिम्मेदारी/दायित्व रहेगा। बुडको द्वारा डी०पी०आर० के निर्माण हेतु विहित प्रक्रियानुसार किसी 01 कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा। बुडको द्वारा टेण्डर डिजाईन करके एवं प्रारूप तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। **(अनुपालन—बुडको)**

3. मासिक/साप्ताहिक तौर पर नालों की सफाई, ड्रेनेज/पम्पिंग स्टेशन के निर्माण आदि की समीक्षा के लिए बैठकों का प्रोटोकॉल प्रक्रियानुसार यथा माननीय मंत्री/प्रधान सचिव/सचिव के स्तर पर संबंधित निकायों/बुडको के साथ समीक्षा बैठक के लिए सामान्य दिशानिर्देश निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। **(अनुपालन—श्री अरविन्द कुमार झा, स०नि०—सह—सं० सचिव)**

4. बुडको/नगर निकायों द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर गठित "समन्वय समिति" को अगले बुधवार (दिनांक 23.10.2019) तक नाला/पम्पिंग स्टेशन के निर्माण एवं क्षमता विस्तार की भावी योजनाओं की राशि का आँकलन करके विभाग को प्रतिवेदित किया जाएगा। नये बड़े नाले एवं पम्पिंग स्टेशन का प्रस्ताव, ड्रेनेज मास्टर प्लान के आधार पर तैयार किया जाएगा।

   (अनुपालन—बुडको/संबंधित निकाय)

5. **बुडको के कार्यपालक अभियंता द्वारा पम्पिंग स्टेशनों के क्षमता विस्तार संबंधी कार्यादेश निर्गत करने/कार्य पूर्णता की तिथि के संबंध में निम्नवत प्रतिवेदित किया गया–**
   i. संदलपुर में 150 HP सबमर्सिबल का कार्यादेश – 31.10.2019
   ii. RMRI पम्पिंग स्टेशन का (प्लेटफार्म बढ़ाते हुए) कार्यादेश – 31.10.2019
   iii. एस०पी० वर्मा रोड (180 HP) – कार्यादेश निर्गत है। दिनांक 15.12.2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
   iv. पुनाईचक (350 HP) पम्पिंग स्टेशन का कार्यादेश – 31.10.2019
   v. राजवंशी नगर पम्पिंग स्टेशन के कार्य पूर्णता की तिथि – कार्यादेश निर्गत है। दिनांक 31.12.2019 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।
   vi. पहाड़ी (New) पम्पिंग स्टेशन का कार्यादेश – 31.10.2019
   vii. सैदपुर पम्पिंग स्टेशन का कार्यादेश – 31.10.2019
6. बुडको के मुख्य अभियंता को निर्देश दिया गया कि शहर के सभी पम्पिंग स्टेशनों के रखरखाव के लिए SOP निर्गत करें, जिसमें बिजली की उपलब्धता, डीजल/मोबिल की उपलब्धता, प्रत्येक प्लांट पर spare parts की उपलब्धता, पम्पिंग स्टेशनों की नियमित मरम्मती की व्यवस्था का उल्लेख रहेगा। इसमें यह भी अंकित किया जाएगा कि कौन–कौन से पम्प कितने पानी के स्तर पर चलाए जाएंगे और इसका प्रशिक्षण पम्पिंग स्टेशनों पर कार्यरत कर्मियों को दिया जाएगा। पम्पिंग स्टेशनों में बड़े आकार का diesel storage tank with pump ऊँचे स्तर पर अधिष्ठापित किया जाएगा, जिसमें डीजल की व्यवस्था permanent advance की तरह रहेगा। जितनी मात्रा में डीजल/मोबिल आदि की खपत होगी, 24 घंटे के अंदर पुनः उतनी मात्रा में उपलब्ध हो जाय। यह SOP तैयार कर अगले शुक्रवार की समन्वय समिति की बैठक में उपलब्ध कराया जाएगा।
   (अनुपालन–बुडको)
7. सभी तरह के पम्प, मोटर, ट्रांसफर्मर एवं अन्य सामग्रियों का 20 प्रतिशत मात्रा अतिरिक्त रखा जाय ताकि पम्पिंग सिस्टम आदि में खराबी होने पर तुरन्त उस spare से बदला जा सके। **(अनुपालन–बुडको)**
8. यह भी निर्देश दिया गया कि सम्प हाऊस में अवस्थित grating की सफाई एवं जाली लगाने का कार्य बुडको द्वारा ही किया जाएगा। इस हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय। **(अनुपालन–बुडको)**
9. इस मॉनसून में जिन–जिन पम्पिंग स्टेशनों में पानी घुसा था, उनमें पानी का भराव रोकने के क्या उपाय हैं, इस संबंध में भी बुडको द्वारा SOP तैयार किया जाएगा तथा किन–किन पम्प सेट, मोटर आदि के प्लेटफार्म को raise करने की आवश्यकता है, उसका भी उल्लेख करेंगे। सभी में आवश्यकतानुसार उचित capacity के submersible pump भी लगाये जाएँ। **(अनुपालन–बुडको)**
10. पम्पिंग स्टेशनों की आकस्मिक मरम्मती के लिए आवश्यकतानुसार डी०पी०एस० एम्बुलेंस का क्रय किया जाएगा और इसके संचालन/रखरखाव के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी।
    (अनुपालन–बुडको)
11. सैदपुर के पुराने STPs की कोई उपयोगिता नहीं है। इस STPs को डी०पी०एस० में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकेगा, इसका प्रस्ताव बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जाय। **(अनुपालन–बुडको)**
12. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि नालों के डिसिल्टिंग हेतु बड़े नाले, surface drain एवं underground drain का SOP अलग–अलग तैयार किया जाएगा। नालों की सफाई एवं उड़ाही का कार्य सालों भर होना चाहिए, न मात्र बरसात के पूर्व।
    (अनुपालन–पटना नगर निगम)
13. पटना नगर निगम में उपलब्ध ड्रेनेज, मैनहोल के नक्से को GIS map पर details के साथ अपलोड किया जाएगा और जिनका नक्सा उपलब्ध नहीं है, उसका सर्वेक्षण कर अपलोड किया जाय।
    (अनुपालन–पटना नगर निगम)

14. इस मॉनसून में पटना शहर में अवस्थित पुराने कई मेनहोल टूट गये हैं और कई पूर्व से टूटे हुए हैं, उन सभी मेनहोल को raise करने की कार्रवाई तुरंत पटना नगर निगम द्वारा किया जाएगा। पुराने मेनहोल location की जानकारी स्थानीय नागरिकों से भी प्राप्त किया जाय। **(अनुपालन–पटना नगर निगम)**
15. पटना नगर निगम द्वारा सभी तरह के मशीन आदि के लिए यार्ड एवं वर्कशॉप बनाया जाय। **(अनुपालन–पटना नगर निगम)**
16. पटना नगर निगम एवं बुडको राशि की आवश्यकता का मदवार आँकलन कर विभाग को अगले शुक्रवार (दिनांक 18.10.2019) तक प्रतिवेदित करें ताकि पूरक बजट उपबंध कराया जा सके। **(अनुपालन–पटना नगर निगम/बुडको)**
17. पटना नगर निगम द्वारा प्लास्टिक प्रतिबंध की सफलता हेतु सप्ताहिक रूप से विशेष अभियान चलाया जाएगा। **(अनुपालन–पटना नगर निगम)**
18. नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित नालों/पईन की मापी कराया जाय और उस पर अवस्थित अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की जाय। इस हेतु विशेष अभियान चलाया जाय। **(अनुपालन–पटना नगर निगम)**
19. पटना नगर निगम क्षेत्र में निर्मित नालों में जहाँ–जहाँ missing link है, उसके निर्माण हेतु भी अतिशीघ्र कार्रवाई करें। **(अनुपालन–पटना नगर निगम)**
20. पटना नगर निगम क्षेत्र में जो नाले बंद है, जिनमें इस मॉनसून में बहुत कम पानी निकल पा रहा था यथा कौशलनगर नाला, सर्पेन्टाईन नाला, कुर्जी नाला, आनंदपुरी नाला आदि, वैसे नालों की सफाई अविलंब प्रारंभ कर दें। **(अनुपालन–पटना नगर निगम)**
21. रामचक बैरिया कूड़ा डम्पिंग प्वाईंट के अंदर पटना नगर निगम द्वारा रोड का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाय ताकि वाहनों के आवागमन में सुविधा हो सके। **(अनुपालन–पटना नगर निगम)**
22. ट्रांसपोर्ट नगर सम्प हाउस एवं रामपुर सम्प हाउस में ड्रेनेज का पानी इस मॉनसून में नहीं जा पा रहा था। निर्देश दिया गया कि स्थल अध्ययन करके नालों के missing link का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाय। **(अनुपालन–पटना नगर निगम)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15/10/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–246/प्र०स०को० न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 15/10/19

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर, फुलवारी शरीफ एवं खगौल/पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–246/प्र०स०को० न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 15/10/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/अभियंत्रण कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी–2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–246/प्र०स०को० न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 15/10/19

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/10/2019

प्रधान सचिव